

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।

पटना, दिनांक 16-3-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹55,31,06,213/- (पचपन करोड़ एकतीस लाख छः हजार दो सौ तेरह रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-18(7)ब दिनांक-15.05.17, 24(7)ब दिनांक-31.05.17, 56(7)ब दिनांक-07.09.17, 73(7)ब दिनांक-25.09.17, 81(7)ब दिनांक-25.09.17, 84(7)ब दिनांक-09.10.17, 89(7)ब दिनांक-16.10.17, 111(7)ब दिनांक-11.12.17, 126(7)ब दिनांक-03.01.18 129(7)ब दिनांक-11.01.18 134(7)ब दिनांक-17.01.18 एवं 146(7)ब दिनांक-21.2.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹55,31,06,213/- (पचपन करोड़ एकतीस लाख छः हजार दो सौ तेरह रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।


2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-202(7) दिनांक-09.02.2018 एवं 222(7) दिनांक-16.03.18) से प्राप्त राशि से तथा तृतीय अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक-99D ब15/बी0एस0जी0-06/2018-307/वि० दिनांक-15.03.18) के तहत प्राप्त राशि से निकासी किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।


6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे।



सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
 2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
 3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।
- सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
 9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।
 10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
 11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।
 12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।
 13. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है।
 14. संविदा सेवाएँ (28-02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे।
 15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
 16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।


विश्वासभाजन,


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिनांक

ज्ञापांक : 159(7)A

पटना, दिनांक : 16-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव
बिनांक

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित सदर अस्पताल / अनुमंडल अस्पताल / सदर प्रमंडलीय अस्पताल (विपत्र कोड-20-2210011100013) का विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिभूति (06-01)	आहार/ पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	मशीनें एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1	भोजपुर	600000	630000	60000	0	3000	60000	1353000	0	0	0	0	1353000	824/28.2.18
2	सहरसा	600000	630000	60000	0	3000	60000	1353000	0	0	0	0	1353000	466/21.2.18
3	पूर्णिया	450000	472500	45000	0	2250	45000	1014750	0	100000	0	0	1114750	214/22.2.18
4	खगड़िया	600000	630000	60000	0	3000	60000	1353000	0	0	0	0	1353000	319/8.2.18
5	मुंगेर	700000	735000	70000	0	3500	70000	1578500	0	0	0	0	1578500	362/26.2.18
6	गोपालगंज	500000	525000	50000	0	2500	50000	1127500	0	0	100000	200000	1427500	378/19.2.18
7	छपरा	100000	105000	10000	0	500	10000	225500	0	0	0	0	225500	496/24.2.18
8	नवादा	900000	945000	90000	0	4500	90000	2029500	0	0	0	0	2029500	495/14.2.18
9	किशनगंज	350000	367500	35000	0	1750	35000	789250	0	0	0	0	789250	181/10.2.18
10	शिवहर	500000	525000	50000	0	2500	50000	1127500	0	0	0	0	1127500	151/19.2.18
11	बेगुसराय	1300000	1365000	130000	0	6500	130000	2931500	0	0	0	0	2931500	377/17.2.18
12	अरवल	600000	630000	60000	0	3000	60000	1353000	0	0	0	0	1353000	246/20.2.18
13	नालन्दा	1800000	1890000	180000	0	9000	180000	4059000	282788	0	11593500	0	52466288	526/19.2.18, 442/9.2.18
14	लखीसराय	700000	735000	70000	0	3500	70000	1578500	0	0	0	0	1578500	202/8.2.18
15	एम0जे0के0 अस्प0, बेतिया	1530000	1606500	153000	0	7650	153000	3450150	0	0	0	0	3450150	231/5.3.18]
16	जमुई	500000	525000	50000	0	2500	50000	1127500	0	0	0	0	1127500	1199/6.11.17
17	सुपौल	500000	525000	50000	0	2500	50000	1127500	0	1000000	2000000	500000	1477500	3006/22.12.17
18	बौका	500000	525000	50000	0	2500	50000	1127500	0	0	0	800000	1207500	171/1002.18, 118/1.2.18
19	कैमूर	600000	630000	60000	0	3000	60000	1353000	0	1000000	1000000	2000000	1753000	178/23.1.18
20	औरंगाबाद	300000	315000	30000	0	1500	30000	676500	0	1000000	1000000	0	8765000	205/5.2.18
21	भागलपुर	400000	420000	40000	0	2000	40000	902000	0	0	0	0	902000	578/9.3.18
22	सिवान	700000	735000	70000	0	3500	70000	1578500	0	0	2000000	2000000	1978500	437/5.2.18
23	रोहतास	280000	294000	28000	0	1400	28000	631400	0	0	2000000	0	831400	53/8.2.18 336/6.2.18

159 (408)
16-3-18

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिभूति	आहार/पथ्य	सविदा सेवार्ह	मशीने एवं उपस्कार	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(06-01)	(21-03)	(28-02)	(52-01)		
24	समस्तीपुर	9000000	9450000	900000	0	45000	900000	20295000	0	0	0	0	20295000	83/10.1.18, 25/8.3.2.18
25	पटना	11000000	11550000	1100000	52000	55000	1100000	24857000	500000	0	0	0	25357000	1855/9.3.18, 1258/7.12.17, 1030/8.2.18
26	शेखपुरा	1800000	1890000	180000	0	9000	180000	4059000	0	0	2000000	0	6059000	309/12.3.18
27	बक्सर	6000000	6300000	600000	0	30000	600000	13530000	0	0	2000000	0	15530000	2627/7.12.17
28	मुजफ्फरपुर	3550000	3727500	355000	0	17750	355000	8005250	0	0	0	0	8005250	2098/26.7.17
29	बैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	5000000	1085/15.6.17
30	मोतिहारी	1900000	1995000	190000	0	9500	190000	4284500	0	0	1000000	0	5284500	540/9.3.18
31	सीतामढ़ी	3000000	3150000	300000	0	15000	300000	6765000	0	0	0	0	6765000	3064/14.12.17
32	गया	750000	787500	75000	0	3750	75000	1691250	218525	0	0	0	1909775	506/28.8.17, 442/13.2.18
33	कटिहार	6000000	6300000	600000	0	30000	600000	13530000	0	0	0	0	13530000	780/7.3.18
34	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	617/9.3.18
35	गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी	28647000	24543000	2538000	5000000	1617900	8373000	70718900	0	1000000	0	0	71718900	19/9.1.18
	कुल	221747000	227298000	21848000	5052000	2583400	27683000	506211400	1001313	5000000	30593500	10300000	553106213	

159 (7) 9
16-3-18

(प्रथम करोड़ एकतीस लाख छः हजार दो सौ तेरह रु०)

सरकार के विशेष सचिव

15/3/18

15/3/18

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	उपबंध/पुनर्विनियोग/ तृतीय अनुपूरक सहित	बजट	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
			3	4	5	6	7
1	वेतन (0013-01-01)	1234647000	1012900000	221747000	1234647000	0	
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	1645505000	1418207000	227298000	1645505000	0	
3	मकान किराया भत्ता (0013-01-04)	527323000	505475000	21848000	527323000	0	
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	5411000	359000	5052000	5411000	0	
5	शिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	11454000	8870600	2583400	11454000	0	
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	47792000	20109000	27683000	47792000	0	
7	त्यौहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	1000000	0	
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	3473132000	2965920600	506211400	3472132000	1000000	
8	शिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	5649000	4646696	1001313	5648009	991	
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	2530000	0	2530000	0	
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	9006000	0	9006000	0	
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	3445000	0	3445000	485000	
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	3350000	0	3350000	1650000	
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	58520000	58512531	0	58512531	7469	
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	902367	0	902367	97633	
15	वर्दी/पोषाक (0013-13-06)	997000	997000	0	997000	0	
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000	
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1810000	0	1810000	0	
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	2501000	0	0	0	2501000	
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013-21-01)	27000000	27000000	0	27000000	0	
20	दवा भंडार (0013-21-02)	395000000	395000000	0	395000000	0	
21	आहार/पथ्य (0013-21-03)	220000000	134884622	5000000	139884622	80115378	
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000	
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013-27-02)	50000000	8296000	0	8296000	41704000	
24	साविदा सेवाएँ (0013-28-02)	1100656000	1070062500	30593500	1100656000	0	
25	अनुग्रह अनुदान (0013-37-01)	401000	400000	0	400000	1000	
25	मशीनें एवं उपस्कर (0013-52-01)	127600000	72451120	10300000	82751120	44848880	
	कुल योग:-	5484734000	4759214436	553106213	5312320649	172413351	

159(7)0
16-3-18

सरकार के विशेष सचिव/6/3/18
खिनाय